वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।

दिनांक 10 दिसंबर 2020 को आयोजित प्रबंध मंडल की 99वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 99वीं बैठक दिनांक 10 दिसंबर 2020 को विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र (कॉमर्स कालेज कैंपस, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर) में मध्यान्ह पूर्व 11.15 बजे (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 आर0एल0 गोदारा , कुलपति,वमखुवि, कोटा	अध्यक्ष
2.	प्रो0 संतोष कुमार शील,देहरादून। (मान0 राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत)	सदस्य
3.	श्री टी. मुरलीधरन, हैदराबाद। (मान0 राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत)	सदस्य
4.	प्रो0 सी0बी0 शर्मा, नई दिल्ली। (प्रतिनिधी इ.गां.रा.मु.वि.वि.)	सदस्य
5.	श्री के0सी0 मीना, संभागीय आयुक्त, कोटा (अति.मु. सचिव, वित्त ,राज.सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
6.	मो0 नईम, संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, राज0सरकार (शासन सचिव, उच्च शिक्षा,राज.सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
7.	प्रो0 बी0 अरूण कुमार, वमखुवि, कोटा	सदस्य
8.	डॉ0 दिलिप कुमार शर्मा, वमखुवि, कोटा	सदस्य
9.	श्री एस0डी0 मीना, कुलसचिव, वमखुवि, कोटा	सचिव
10.	श्री डी0के0 सिंह, उप कुलसचिव (वित्त) वमखुवि , कोटा	विशेष आमंत्रित

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सम्मिलित समस्त सदस्यों को स्वागत करते हुए इंदिरा गांधी रा0 मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय द्वारा नव नियुक्त सदस्य प्रो0 सी0 बी0 शर्मा एवं प्रो0 बी0 अरूण कुमार का स्वागत किया गया तथा पूर्व सदस्य प्रो0 प्रदीप साहनी द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए अपने अमूल्य समय एवं अनुभव के लाभ के लिए सदन की ओर से प्रो0 साहनी को धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरांत समस्त सदस्यगणों द्वारा अपना अपना परिचय प्रस्तुत करने के साथ ही आवश्यक गणापूर्ति की सुनिश्चितता के बाद कार्यसूची विवरण पर बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करवाने के निर्देश

अध्यक्ष महोदय द्वारा कुलसचिव एवं सदन के सचिव को प्रदान किए गए। सदन द्वारा कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय किए गएः–

99/01 प्रबंध मंडल की 98 वीं बैठक दिनांक 01 जुलाई 2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

कार्यवाही विवरण पर चर्चा प्रारंभ करते हुए प्रो0 सी0 बी0 शर्मा द्वारा शिक्षकों को सी0ए0एस0 दिए जाने के सम्बन्ध हुए निर्णय की प्रगति की जानकारी चाही गई,इस पर कुलसचिव द्वारा अनुपालना प्रतिवेदन में प्रगति से अवगत करवाने सम्बन्धी सूचित किया गया, डा0 दिलिप शर्मा द्वारा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को सी0ए0एस0 दिए जाने सम्बन्धी पूर्व बैठक में हुई चर्चा के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी चाही गई, माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रो0 सी0 बी0 शर्मा से इंदिरा गांधी रा0मु0 विश्वविद्यालय में निदेशकों को सी0ए0एस0 की व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी से सदन को अवगत करवाने हेतु कहा गया।सी0बी0 शर्मा ने इग्नों की व्यवस्था से अवगत करवाया जाने के उपरांत श्री टी0मुरलीधरन ने भी इंदिरा गांधी रा0 मुक्त विश्वविद्यालय की व्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात् आवश्यक प्रावधानों को अपनाया जा सकता है। इस पर राज्य सरकार के प्रतिनिधी मो0 नईम द्वारा कहा गया कि अशैक्षणिक कार्मिकों को राज्य सरकार के नियमानुसार ए0सी0पी0 दिया जाता है इस पर श्री सी0बी0 शर्मा ने समर्थन करते हुए कहा कि अशैक्षणिक स्टाफ सी0सी0ए0 रूल्स से नियंत्रित होते है। मो0 नईम ने इस विषय पर कहा कि एक कमेटी गठित की जाए जिसमें वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं इंदिरा गांधी रा0मुक्त विश्वविद्यालय के प्रतिनिधी को सम्मिलित किया जाए। यह समिति अन्य विश्वविद्यालयों के प्रावधानों का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसे राज्य सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाए। श्री के0सी0 मीना संभागीय आयुक्त कोटा ने कहा कि एक विषय विशेषज्ञों की समिति बनाई जावे जो इन बिंदुओं पर अनुशंसा करे कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में पदोन्नति के क्या प्रावधान है तथा इन प्रावधानों में क्या संशोधन किया जाना उचित होगा इस रिपोर्ट को आगामी प्रबंध मंडल की बैठक में रखा जावे। डा0 संतोष कुमार शील द्वारा सदन को बताया गया कि मात्र इंदिरा गांधी रा0मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था का अध्ययन करने स्थान पर राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों की व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाना चाहिए एवं निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों सहित अन्य अधिकारियों एवं मंत्रालयिक कार्मिकों की पदौन्नति के सम्बन्ध में भी नियम इस समिति द्वारा बनाए जाने चाहिए। सी0बी0 शर्मा द्वारा कहा गया कि शिक्षकों को देय लाभ तत्काल प्रदान किए जाने चाहिए जिससे नवीन शिक्षा नीति की पालना करने में सुविधा रहे।

चर्चा उपरांत माननीय कुलपति महोदय ने एक समिति बनाने पर सहमति बनाने पर सहमति प्रदान की जिसमें वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधी एवं विधी विशेषज्ञ सम्मिलित हो, उक्त समिति निदेशकों की पदौन्नति सम्बन्धी नियम एवं रूपरेखा तैयार करेगी उक्त चर्चा एवं जानकारी उपरांत सदन द्वारा प्रबंध मंडल की 98वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

99/02 प्रबंध मंडल की 98 वीं बैठक दिनांक 01 जुलाई 2020 के निर्णयों के क्रम में अनुपालना प्रतिवेदन का वाचन एवं पुष्टि।

अनुपालना प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान मो0 नईम द्वारा कहा गया कि विद्या परिषद की बैठक में ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में तक0 एवं शैक्षणिक समिति के गठन का निर्णय किया गया था। इस सम्बन्ध में हुई कार्यवाही की जानकारी अनुपालना प्रतिवेदन में नहीं है, इस पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया कि शैक्षणिक समिति की रिर्पोट प्राप्त हो गई है, किंतु तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कोई नीतिगत निर्णय लिया जा सकेगा। श्री टी.मुरलीधरन द्वारा सदन को बताया गया कि ऑनलाइन परीक्षा में तकनीकी समस्या अधिक नहीं है। कई निजी विश्वविद्यालयों द्वारा इस प्रक्रिया को अपनाया गया है, किंतु सरकारी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा में नकल रोकने, इवेल्युवेशन आदि में विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए ऑनलाइन परीक्षा को अपनाने में समस्याऐं आ सकती है।अतः इस प्रक्रिया को अपनाने से पूर्व विधिक दृष्टि से भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है, तथा कोविड संकट के बाद पुनः पूर्वानुसार ही परीक्षा आयोजन एवं इवेल्युवेशन की पंरपरागत प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी अतः ऑनलाइन परीक्षा पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। प्रो0 सी0बी0 शर्मा द्वारा भी श्री मुरलीधरन के कथन से सहमति व्यक्त की गई। माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को आश्वस्त किया कि ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया अपनाए जाने से पूर्व माननीय सदस्यों के सुझावों का ध्यान रखा जाएगा।

शिक्षकों को सी0ए0एस0 दिए जाने सम्बन्धी निर्णय की अनुपालना कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रो0 सी0 बी0 शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को वित्तिय प्रभाव वाले प्रकरण प्रेषित किया जाना तो उचित है किंतु विधिक राय के लिए प्रेषित किया जाना उचित नहीं है एवं शिक्षकों को शीघ्र ही सी0ए0एस0 का लाभ समय पर दिया जाना चाहिए ताकि उनके साथ न्याय हो सके । अतः सी0ए0एस0 दिए जाने की कार्यवाही शीघ्र ही प्रारंभ की ज़ानी चाहिए । प्रो0 बी0 अरूण का कहना था कि जब तक प्रति चार माह में कार्ययोजना बनाए जाने के प्रबंध मंडल के पूर्व निर्णय में शिथिलता नहीं दी जाती है तब तक इसमें कार्यवाही आगे नहीं बढ सकती है। प्रो0 सी0 बी0 शर्मा का मत था कि चूंकि शिक्षकों से कार्ययोजना पूर्व में मांगी भी नहीं गई एवं यह भी जानकारी में आया है कि शिक्षकों को उक्त निर्णय से सूचित भी नहीं किया गया है, अतः प्रबंध मंडल द्वारा चार माह की कार्ययोजना के प्रावधान में शिथिलता प्रदान करने के लिए निषपक्ष तृतीय पक्ष से सलाह कर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए। इस पर उच्च शिक्षा सचिव के प्रतिनिधी डा0 मोहम्द नईम द्वारा बताया गया कि पूर्व में लिए गए निर्णय में शिथिलता देने सम्बन्धी कार्य प्रबंध मंडल से उच्च प्राधिकारी यथा माननीय राज्यपाल महोदय एवं राज्य सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। डा0 संतोश कुमार शील का मत था कि इस विषय पंर प्रबंध मंडल की पूर्व बैठक में निर्णय लिया जा चुका है माननीय कुलपति महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में सदस्यगणों द्वारा व्यक्त किए गए विचार विमर्श के अनुरूप चार माह की कार्ययोजना में शिथिलता प्रदान करने की अनुमति हेतु राज्यपाल सचिवालय एवं राज्य सरकार को शीघ्र ही पत्र प्रेषित करने की कार्यवाही करने का आश्वासन सदन को दिया एवं आगामी प्रबंध मंडल की बैठक से पूर्व नियमानुसार सी0ए0एस0 लाभ के सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही के साथ प्रबंध मंडल को सूचित किया जाने का आश्वासन भी सदन को दिया।

उक्त चर्चा उपरांत अनुपालना प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

99/03 विद्या परिषद की 61वीं बैठक दिनांक 01 अक्टूबर 2020 एवं 62वीं बैठक दिनांक 06 नवंबर 2020 के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन।

विद्या परिषद की बैठकों के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधी द्वारा कहा गया कि छात्रों को प्रोन्नत करने के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 ने फाइनल इयर की परीक्षा आवश्यक रूप से आयोजित करने के लिए कहा है और स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रीवियस के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्णय किया जा सकता है। एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0एड0 के छात्रों को प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, ऐसी स्थिति में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करने में क्यों कठिनाई आ रही है। प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को कुछ कार्यक्रमों में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों से अवगत करवाया गया। प्रो0 सी0 बी0 शर्मा द्वारा इंदिरा गांधी रा0मु0 विश्वविद्यालय द्वारा प्रीवियस एवं स्नातक प्रथम एवं द्वित्तिय वर्ष की परीक्षाऐं आयोजित किए जाने की सूचना से अवगत करवाया गया। सदस्यों ने कोविड महामारी की परिस्थियों और विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए । सदन द्वारा प्रो0 बी0 अरूण कुमार को अन्य विश्वविद्यालयों में उक्त क्रम में व्यवस्थाऐं एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजन/प्रन्नोत करने के सम्बन्ध में तत्काल प्रस्ताव तैयार करने एवं माननीय कुलपति महोदय को इन प्रस्तावों के अनुसार निर्णय लेकर कार्यवाही करने वास्ते अधिकृत किया एवं की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करवाने का निर्णय किया गया।

उक्त चर्चा एवं निर्देश के बाद विद्या परिषद की 61 वीं एवं 62वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया।

99/04 आयोजना मंडल की 16वीं बैठक दिनांक 20 जुलाई 20 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

कुलसचिव द्वारा सदन को विभिन्न निर्णयों की बिंदुवार प्रारम्भिक जानकारी से अवगत करवाया गया। प्रो0 सी0बी0 शर्मा द्वारा संविधान पार्क के साइज आदि के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई। श्री नवीन तिवारी,सहायक अभियंता द्वारा मुख्यालय से ऑनलाइन बैठक में जुड़कर सदस्यगणों को इस सम्बन्ध में जानकारी दी गई। पुस्ताकालय भवन के विस्तार के सम्बन्ध में प्रो0 सी0 बी0 शर्मा द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय में किताबों का क्रय बहुत कम है,शिक्षकों की संख्या कम है एवं छात्र आ नहीं रहे है ऐसी स्थिति में पुस्ताकालय भवन का विस्तार किए जाने के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा गया कि वर्तमान पुस्ताकालय भवन ही पर्याप्त है। इस पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि ई0 लाइब्रेरी अवधारणा आ रही है एवं रिसर्च कार्य का विस्तार होना है इन कारणों को ध्यान में रखते हुए ही पुस्ताकलय भवन का विस्तार किए जाने का निर्णय किया गया है। यह विस्तार चरणबद्व तरीके से अलग अलग वित्तिय वर्षो में किया जाएगा ताकि एक ही वित्तिय वर्ष में इसका भार ना पड़े। श्री टी0मुरलीधरन द्वारा वर्तमान समय में डिजिटल लाइब्रेरी की ओर बढने के लिए कहा गया जिसमें फिजिकल एसेस्ट की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है अतः भवन निर्माण पर धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भविष्य में डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किया जाना चाहिए, प्रो0 सी0 बी0 शर्मा द्वारा इस विचार से सहमति व्यक्त की गई। माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों के विचार से सहमति व्यक्त करते हुए डिजिटल लाइब्रेरी की अवधारणा को भी भविष्य में लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रो0 सी0 बी0 शर्मा ने कहा कि कोविड संक्रमण से मुक्त होने तक समस्त प्रकार के निमार्ण कार्यो को रोका जाना चाहिए, वित्त विभाग राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी संभागीय आयुक्त कोटा

ने भी प्रो0 शर्मा के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी गाइडलाइन में भी नव निर्माण कार्यो को प्रतिबंधित किया गया है। माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया कि राज्य सरकार की गाईडलाइन के अनुसार ही निर्माण कार्यो की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।

चर्चा उपरांत प्रबंध मंडल द्वारा राजभवन के निर्देशानुसार करवाए जाने वाले संविधान पार्क के निर्माण कार्य एवं वर्तमान में चल रहे परीक्षा विभाग के निर्माण कार्य के अतिरिक्त आयोजना मंडल द्वारा अनुमोदित अन्य समस्त निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया।

99/05 वित्त समिति की 60वीं बैठक दिनांक 07 नवंबर 2020 के कार्यवाही विवरण एवं वित्तिय वर्ष 2021–22 हेतु अनुमानित बजट प्रावधानों का अनुमोदन।

वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण एवं वित्तिय वर्ष 2021–22 हेतु अनुमानित बजट प्रावधानों के सम्बन्ध में उप कुलसचिव, लेखा एवं वित्त विभाग, श्री डी0के0 सिंह द्वारा बिंदुवार विस्तृत जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय की आय कम होने के कारणों से भी सदन को अवगत करवाया गया, सदन द्वारा बिल्डिंग फंड में बजट प्रावधान करने के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई कि जब निर्माण का प्रतिबंधित है तो इस फंड में प्रावधान क्यों किए जा रहे है, सदन को इस जानकारी के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया कि यह व्यय राज्य सरकार की अनुमति बाद ही किए जाएंगे।

प्रो0 सी0 बी0 शर्मा द्वारा पुस्ताकालय में पुस्तकें क्रय नहीं किए जाने के कारणों की जानकारी चाही गई, जिस पर पुस्तकालय के प्रभारी अधिकारी डा0 श्री एम0ए0 खान द्वारा मुख्यालय से ऑनलाइन सदन को अवगत करवाया कि पुस्तकें क्रय के सम्बन्ध में एक आडिट आक्षेप है जिसमें कहा गया है कि मुक्त विश्वविद्यालयों में छात्र सीधे जुड़े नहीं होते है ऐसी स्थिति में पुस्तकें क्रय किए जाने का क्या ओचित्य है। प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा कहा गया कि पुस्तकें छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षकों में ज्ञान वृद्वि एवं अपडेशन के लिए भी आवश्यक है इस प्रकार के आडिट पैराज का तत्काल निस्तारण करवाया जाना चाहिए। माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को आश्वस्त किया कि वे व्यक्तिशः आडिट पैरा को देखकर इसे निरस्त करवाने का प्रयास करेंगे ताकि पुस्तकें क्रय किया जाना संभव हो सके।

सदन द्वारा उक्त चर्चा उपरांत वित्त समिति की 60वीं बैठक के कार्यवाही विवरण एवं वित्तिय वर्ष 2021–22 हेतु बजट प्रावधान एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 से संशोधित बजट अनुमानों को अनुमोदित किया गया।

99/06 विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए Child Care Leave लागू करने के लिए Child Care Leave का नोटिफिकेशन प्रारूप प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल द्वारा महिला शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए Child Care Leave लागू करने के राज्य सरकार के आदेश एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रदान किए जाने वाले निर्णयों को भी विश्वविद्यालय में स्वतः लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए Child Care Leave के नोटिफिकेशन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

उक्त निर्णयों उपरांत उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी डा0 मोहम्द नईम द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि जो विषय/क्रार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे है उनके शिक्षको के पद स्वीकृत नहीं है तो उनकी स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएं। सदस्यों का इस प्रस्ताव पर मत था कि शिक्षकों की आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात् ही प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने चाहिए। माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदस्यगणों के विचार से सहमति व्यक्त करते हुए शिक्षकों की आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण निदेशक संकाय से करवाने के बाद ही प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा।

तत्पश्चात आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

(शंभू दयाल मीना)
कुलसचिव एवं सचिव
प्रबंध मंडल